संख्या-21/2016/1027/सैंतीस-2-2015-1(42)/2000

प्रेषक,

चन्द्र कान्त पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-15 मार्च, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 पशुधन मंत्री जी के विवेकाधीन कोष अनुदान मद से आर्थिक सहायता/अनुदान स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-31/सात-3/14/17/2015-16, दिनांक-10.04.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में निम्न विवरणानुसार रू0-10.00 हजार (रूपये दस हजार मात्र) की धनराशि आवंटित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	नाम	पता	प्रयोजन जिस हेतु आर्थिक सहायता दी गई है	आवंटित धनराशि
1	श्री गंगेश सिंह पुत्र श्री रविन्द्र सिंह	ग्राम-ओटवा पूरेऔधी, पो0-हर्रैया, बस्ती मो0-9450953000	बकरी पालन हेतु	2000.00
2	श्री विजय शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा	ग्राम-पचीसा, पो0-समस्तपुर, बस्ती मो0-9628215860	बकरी पालन हेतु	2000.00
3	श्री उमेश कुमार पुत्र श्री कौशल प्रसाद	ग्राम-फूलडीह, पो0-बाघानाला, बस्ती	बकरी पालन हेतु	2000.00
4	श्री घनश्याम पुत्र श्री सरवन कुमार	ग्राम-फूलडीह, पो0-बाघानाला, बस्ती	कुक्कुट पालन हेतु	2000.00
5	श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामानन्द सिंह	ग्राम-गंगियाकोहल, पो0-महसों, बस्ती	कुक्कुट पालन हेतु	2000.00
योग-				**10000.00**

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-2013-मंत्रि परिषद-आयोजनेत्तर-105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-03-पशुधन मंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(**चन्द्र कान्त पाण्डेय**)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-21/2016/1027(1)/सैंतीस-2-2015- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी/सम्बन्धित लाभार्थी।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(**रणविजय सिंह**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in